—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 55/2022

उनवान

1. रमेश पुत्र हनुमानदास जाति वैष्णव निवासी रामपुरा अहिरान तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (मंदिर श्री रघुनाथ जी महारज नाबालिग सास्वत जरिये हैसियत पूजारी),
2. मुरलीधर पुत्र बलदेव यादव,
3. गणेश यादव पुत्र सूरजमल यादव,
4. महावीर यादव पुत्र श्रीकिशन यादव समस्त जातिगण यादव निवासी रामपुरा अहिरान तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कंचन पुत्र मोहनदास,
2. कृष्णकन्हैया पुत्र रामस्वरूप
3. कान्ता पुत्री हनुमानदास,
4. गोपीदास पुत्र राधाकिशन, **(तर्क 11.03.24)**
5. चतुर्भज पुत्र सीताराम,
6. जगदीश पुत्र मोहनदास,
7. दिनेश पुत्र रामस्वरूप,
8. नाथूदास पुत्र लालदास,
9. नीतु पुत्री सीताराम,
10. पार्वती पुत्री जगदीश,
11. पिंकलेश पुत्री रामस्परूप,
12. भंवरी पुत्री हनुमानदास,
13. भवरी पत्नि सीताराम,
14. रूकमा पत्नि जगदीश,
15. रघुवीर पुत्र बजरंगदास,
16. राकेश पुत्र रामस्वरूप,
17. राजू पुत्र सीताराम,
18. सुमन पुत्री जगदीश,
19. सुरज्या पुत्री जगदीश,
20. सांवरा पुत्र जगदीश समस्त जातिगण साधू समस्त निवासीगण रामपुरा अहिरान तहसील नसीराबाद जिला अजमेर,
21. मैनेजर स्टेट बैक आफ इंडिया शाखा श्रीनगर,
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 21 अनुपस्थित 22 जरियें राज. पैरोकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :–

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा अहिरान में स्थित आराजी मंदिर रघुनाथ जी के खातें में सनफसली 1349 व चौसाला जमाबंदी, वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
214	1–13–0	265	1–13–0	261	0.26
635	4–3–0	929	3–5–0	896	0.53
1016	2–4–0	1347	1–2–0	1410	0.18
		1346	1–2–0	1411	0.18
1013	2–12–0	1349 मिन	1–1–0	1404	
				1405	0.09
1018	2–8–0	1345	2–8–0	1412	0.39
1019	0–2–10	1344	0–2–0	1416	0.02
1020	5–3–0	1342	2–15–0	1422	0.47
		1343	2–5–0	1415	0.37
1022	0–16–10	1340	0–16–10	1414	0.87
				1423	0.31
864	6–4–0	1210	6–4–0	1223	1.00
865	5–10–0	895		1227	0.05
866	0–13–10	896 मिन	0–13–0	1228	0.12
867	0–16–0	896 मिन	0–16–0	1228	0.12
868	7–7–10	891	3–0–0	1224	0.49
		894	4–12–10	1225	0.75
871	1–17–0	818	1–17–0	1235	0.46
1021	7–4–0	1341	7–4–0	1423	0.31
				1414	0.87
				1413	.013

उपरोक्त आराजी साबिक राजस्व अभिलेख में मंदिर श्री रधुनाथ जी महाराज के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण निनरन्तर बतौर पुजारी सेवा करते आ रहे हैं उक्त आराजी विगत 100 वर्षे से मंदिर कर रही है। बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों ने अपने हक व अधिकार के परे जाते हुये हाल खसरा नम्बर 261, 896, 1410, 1411, 1404, 1405, 1412, 1416, 1422, 1415, 1414, 1423, 1414, 1413 मंदिर श्री रघुनाथ के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से 20 के नाम अंकित कर दी। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा हैं। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी [illegible] तारिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 20 अनुपस्थित [illegible] कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:05 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिललेख में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दज्र है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त आराजी पूर्व राजव अभिलेख में मंदिर श्री रघुनाथ के नाम दर्ज थी। किन्तु पूर्व राजस्व अभिलेख से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि नही होती है। प्रकरण में भूमि अप्रार्थीगण के नाम काफी समय से खातेदारी के रूप में दर्ज है राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को बिना विषम परिस्थितियों कें पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण में विषम परिस्थितिया सिद्व नही होती है। मौखिक कथनों के आधार पर हाल इन्द्राज को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। **अतः** प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगणकी खातेदारी में दर्ज है। भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को बिना किसी ठोस कारण के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। भूमि के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगा। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नहीं होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम रामपुरा अहिरान की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:05 IST
Reason: SelfAttested